भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 182
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 03 फरवरी, 2025
14 माघ, 1946 (शक)

देश के अन्य राज्यों में ओडिशा संस्कृति को बढ़ावा देना

182. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों, विशेष रूप से प्रमुख धरोहर स्थलों, मंदिरों, स्मारकों, जनजातीय कला और केंद्रों आदि में ओडिशा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए वर्तमान कार्यक्रमों और पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की योजना अंतर-राज्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पहलों के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां क्या हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अंतर्गत अद्वितीय जनजातीय उत्सव को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और रसद सहायता बढ़ाने का है; और
(घ) ओडिशा संस्कृति और त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए अगले चार वर्षों के प्रस्ताव सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): सरकार राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों/ राज्यों के कलाकारों को क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों / उत्सवों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसमें दर्शकों को आनंद उठाने तथा विभिन्न क्षेत्रों की कलात्मक विविधताओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है।
इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओडिशा राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति और स्मारकों के संवर्धन हेतु विद्यालयों/महाविद्यालयों और आम-जन को शामिल करते हुए प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, गणतत्र दिवस, गाँधी जयंती जैसे विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।
(ग) और (घ): सरकार द्वारा गठित की गई राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) को जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर सहित भारत की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अधिदेश दिया गया है।
संस्कृति मंत्रालय दो योजनाओं अर्थात् "सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उत्पाद अनुदान योजना" और "कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु छात्रवृति एवं अध्येतावृति की योजना" चलाती है जिसमें कला एवं संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के व्यापक लक्ष्य के साथ पात्र लाभार्थियों को वितीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वितीय वर्ष के दौरान लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या सहित इन योजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में संलग्न है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 03.02.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वितीय वर्ष के दौरान लाभार्थियों (ओडिशा राज्य से संबंधित) की संख्या सहित योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा

1. सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उत्पाद अनुदान योजना

सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उत्पादन अनुदान योजना (सीएफपीजी): इस योजना के अन्तर्गत एनजीओ /समितियों/न्यासों/विश्वविधालयों को संगोष्ठियों, सम्मेलनों, शोध, कार्यशालाओं, उत्सवों, प्रदर्शनियों, सिम्पोसियम, नृत्य–प्रदर्शन, नाटक, रंगमंच, संगीत इत्यादि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत, विगत 03 वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष

(रू लाख में)

वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25 (दिनांक 30.01.2025 को)	
संगठनों की संख्या	जारी की गई निधियाँ	संगठनों की संख्या	जारी की गई निधियाँ	संगठनों की संख्या	जारी की गई निधियाँ	संगठनों की संख्या	जारी की गई निधियाँ
108	171.40	89	129.60	90	93.60	33	55.80

2. कला एवं संस्कृति के लिए छात्रवृति एवं अध्येतावृति की योजना: इस योजना के तीन घटक हैं। इस योजना के घटकों का नाम एवं विवरण निम्नानुसार है:

(क) **विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों के लिए छात्रवृति योजना**: इसके अंतर्गत, एक वर्ष में एक समूह में 400 छात्रवृतियाँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत 18-25 वर्ष के आयु समूह के उत्कृष्ट भविष्य वाले युवा कलाकारों को भारत में भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूकाभिनय (मिमी), दृश्यकला, लोक-कला, पारंपरिक एवं स्वदेशी कला तथा सहज शास्त्रीय संगीत इत्यादि के क्षेत्र में 5,000/- रुपए प्रतिमाह की दर से 2 वर्षों के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है। यह छात्रवृति चार समान छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

(ख) **संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को अध्येतावृति के अवार्ड की योजना**: इस योजना के अन्तर्गत, सांस्कृतिक शोध के लिए एक वर्ष में 400 छात्रवृतियाँ (200 कनिष्ठ तथा 200 वरिष्ठ) दी जाती हैं

जिनमें 25-40 आयु वर्ष समूह (कनिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को 10,000/- रु प्रति माह की दर से एवं 40 वर्ष से अधिक आयु समूह के व्यक्तियों (वरिष्ठ) को 20,000/- रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्षों के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत, छात्रवृति की राशि चार समान छमाही किश्तों में जारी की जाती है।

(ग) **सांस्कृतिक शोध हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृति**: उपर्युक्त योजना के इस घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों एवं देश में चिन्हित किये गए अन्य सांस्कृतिक संस्थानों को सुदृढ़ एवं पुनर्जीवित करने के लिए इन संस्थानों में शोध छात्रों/अकादमिकों को पारस्परिक रुचि की परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए इन संस्थानों से सम्बद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अन्तर्गत 15 अध्येतावृति (80000रु प्रति माह+आकस्मिक भत्ता) तथा 25 छात्रवृतियाँ (50,000/- रु प्रति माह+आकस्मिक भत्ता) अधिकतम 2 वर्षों के लिए प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृति चार समान छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत विर्गत 3 वर्षों के दौरान, ओडिशा राज्य में संगठनों की संख्या एवं प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष

(रू लाख में)

2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 दिनांक 30.01.2025 तक)	
लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधियां
183	193.90	114	137.10	187	122.70	52	61.80

*****